| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **26.06.2024** | पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा.दी. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता श्री स्वर्णसिंह द्वारा एक अपील जैर दफा 76 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी डी दिनांक 05.08.1985 राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में प्रस्तुत की। दिनांक 24.03.2003 को सक्षम न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प भरतपुर में अपील प्रस्तुत करने के लिए अपीलांट को वापस लौटा दी गई। दिनांक 11.06.2003 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प भरतपुर के न्यायालय में पेश की उसके बाद संभागीय आयुक्त का न्यायालय भरतपुर में सृजित होने के बाद विधिवत सुनवाई हेतु प्राप्त हो गई। दिनांक 26.11.2008 को अपीलांट स्वर्णसिंह के उपस्थित न होने के कारण अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में खारिज कर दी गई। अपील को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र वाजदायरी दिनांक 25.03.2009 को प्रस्तुत कर दिया गया। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नियत थी। दिनांक 07.036.2018 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी व अदम तकमील व अदम पैरवी में खारिज कर दिया।<br>दिनांक 07.03.2018 को वाजदायरी प्रार्थना पत्र वास्ते तलवी नियत थी ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 04.08.2013 को ग्राम धमूडकी (झंझार) तहसील नगर जिला भरतपुर में हो गया था। प्रार्थीगण मृतक स्वर्णसिंह के वारिस हैं और उक्त प्रकरण की उनको कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण के पिता के नाम नियुक्त वकील का एक पत्र पैरवी करने हेतु सन 2018 का घर के कागजों में दिनांक 25.06.2021 को मिला जिस पर नियुक्त अधिवक्ता के पास दिनांक 02.07.2021 को आकर प्रकरण की जानकारी हासिल की तो पता चला कि वाजदायरी प्रार्थना पत्र 07.03.2018 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया है। उसके बाद 07.03.2018 एवं 26.11.2008 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त की। नकल प्राप्त होने पर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। दिनांक 02.07.2021 से पूर्व प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का समय 30 दिवस है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। दिनांक 07.03. 2018 एवं 26.11.2008 को रेस्पोडेन्ट हाजिर ही नहीं थे तो उनको कानूनन वाजदायरी के प्रार्थना पत्र पर सुनने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। रेस्पोडेन्ट को बिना सुने ही वाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो सकती है। वाजदायरी स्वीकार होने पर रेस्पो. को तलवी हेतु सम्मन | |

जावेंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर दिनांक 07.03.2018 एवं 26.11.2008 निरस्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर बाजदायरी प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथा आरआरडी 1991 पेज 542, आरआरडी 1958 पेज 91, सीसीसी 2020(1) पेज 319 बोम्बे, सीसीसी 2017(1)पेज 673 पटना, आरएलआर 1988(1) पेज 275, आरएलआर 1993 (1) पेज 139, आरआरटी 2019(1) पेज 456(एस.सी.) एवं डीएनजे 2018(3)पेज 1178 उद्वृत किये।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। माननीय न्यायालयों की प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालयों के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा.दी. को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। दिनांक 07.03.2018 एवं 26.11.2018 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनो ही हाजिर नहीं होने के कारण अपील एवं प्रार्थना पत्र बाजदायरी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किये गये है। वकील अपीलांट के कथनों से हम सहमत हैं और न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के मध्येनजर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा.दी. न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है। बाजदायरी प्रार्थना पत्र नम्बर 03/09 उनवान स्वर्णसिंह बनाम जीतसिंह पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जावे। यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 एवं धारा 151 जा.दी. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर शामिल मूल वाजदायरी प्रार्थना रहे। पत्रावली वास्ते तलवी रेस्पो. दिनांक 14.08.2024 को पेश हो।

26/6/24